तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2019	प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना कोड संख्या आर–468 के विरूद्ध अभियोजन चलाने का निवेदन किया है, उसमें खाद्य विश्लेषक द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार नमूना कोड संख्या आर–468 को असुरक्षित खाद्य माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत दण्ड योग्य हैं। जिसकी सुनवाई के क्षैत्राधिकार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 42 के तहत न्यायालय हाजा को नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ लौटाया जाता हैं। पत्रावली इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, पाली अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली	